"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2002—कार्तिक 4, शक 1924

खेल एवं युवक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-9-1/2002/9.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 26 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्याधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित दिये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कारवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश खेल एवं युवक कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988.
2.	खेल संस्थाओं एवं खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, खेल वृत्ति, सम्मान निधि, प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार नियम, 2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-9-1/2002/9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-1/2002/9 दिनांक 25-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

Raipur, the 25th October 2002

NOTIFICATION

No.F-91/2002/9.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following Order a, namely :—

ORDER

1. (1) This Order may be called tha Adaptation Order, 2002.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time. Specified in the Schedule to this order which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended and shall be inforce in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, bylaws, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Act (2)
1.	Madhya Pradesh Sports & Youth Welfare (Gazetted) Service & Recruitments Rules, 1988.
2.	Madhya Pradesh Sports Associations, Players finencial Assistance, Sports Scholar-ships, honorarium and Awards to outstandings player Rules, 2000.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. S. MURTHY, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.